ई समाचार पत्रा

राष्ट्र महिला

खण्ड 1, संख्या 232, जनवरी–मार्च, 2019

राष्ट्रीय महिला आयोग

26वां वार्षिकोत्सव समारोह

राष्ट्रीय महिला आयोग ने तारीख 31 जनवरी, 2019 को 26वां वार्षिक दिवस समारोह आयोजित किया। अध्यक्ष, सुश्री रेखा शर्मा ने महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए उद्यमशीलता का संवर्धन करने के महत्व और महिलाएं कैसे नौकरियों को सर्जित कर सकती है तथा अधिक महिलाओं के लिए उपजीविका का स्रोत बन सकती है इस संबंध में विशेष रूप से उल्लेख किया।

डा. वीरेन्द्र कुमार, माननीय राज्यमंत्री, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय तथा श्री राकेश श्रीवास्तव, सचिव, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने भी राष्ट्रीय महिला आयोग के वार्षिक दिवस समारोह में भाग लिया और सम्मानित जनसभा को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा महिलाओं के लिए सभी अड़चनों को हटाने के प्रयासों के बारे में बताया जिससे कि वे सफल उद्यमी बन सके, जिसमें कौशल विकास, महिला ई–हाट की स्थापना भी शामिल है, और बिचौलियों को हटा कर विक्रेताओं और क्रेताओं के बीच सीधे संयोजन की व्यवस्था की जाएगी।

उद्घाटन सत्र के पश्चात् आयोग की माननीय सदस्य श्रीमती कमलेश गौतम, श्रीमती सोसो साइजा और श्रीमती चंद्रमुखी देवी ने जनसभा को संबोधित किया और अपनी अनुभूति और उस रीति के बारे में बताया जिसके आधार पर महिलाओं की समस्याओं को हल करने के लिए आयोग किस प्रकार कार्य कर सकता है।

सफल महिला उद्यमियों सुश्री रेवती कुलकर्णी रॉय, सीईओ–हे दीदी, सुश्री कनिका टेकरीवाल, संस्थापक, जेट सेट गो और सुश्री शैली चोपड़ा, संस्थापक, शी दि पीपल ने वार्षिक दिवस समारोह के दौरान अपनी सफलता के वृतांतों को सांझा किया।

- श्रीमती रेवती कुलकर्णी रॉय ने अपनी सफलता के वृतांत को बताया कि किस प्रकार उन्होंने अपनी गाड़ी चलाने के अपने कौशल का उपयोग किया और अपने भाग्य को बदला। उन्होंने एक उद्यमी बनकर महिला कैब सेवा आरंभ की और हजारों महिलाओं को प्रशिक्षित करके उन्हें व्यवसायिक ड्राइवर बनाया।
- सुश्री कनिका टेकरीवाल, सीईओ, जेट सेट गो ने अपनी सफलता की कहानी को बताते हुए यह कहा कि कैसे वह एक पॉयलट बनने की अपनी इच्छा को पूरा करने में इस कारण सफल नहीं हो सकी थी क्योंकि उसके परिवार की रूढिगत सोच इसमें बाधा बनी थी जिसकी वजह से उन्होंने एक कंपनी बनाई जिसके पास हवाई जहाजों का एक बेड़ा है।
- सुश्री शैली, संस्थापक 'शी दि पीपल', एक प्रशिक्षित मीडिया व्यक्ति के रूप में एक ऐसा डिजीटल मंच प्रदान किया है जहां वास्तविक महिलाओं की आवेशपूर्ण वृतांतों और उनके प्रयासों की वास्तविकता को सांझा किया जाता है। ये वृतांत अन्य महिलाओं के लिए प्रोत्साहन का स्रोत है।

इस वर्ष के वार्षिक समारोह के मुख्य विषय को ध्यान में रखते हुए ''उद्यमशीलता के माध्यम से महिलाओं का सशक्तिकरण'' विषय पर एक पैनल द्वारा विचार–विमर्श किया गया। इस पैनल में प्रख्यात वक्ता उदाहरणार्थ श्रीमती रेखा शर्मा, अध्यक्ष और श्रीमती मीनाक्षी गुप्ता, सदस्य सचिव, रा.म.आ., सुश्री सुनीता सांघी, ज्येष्ठ सलाहकार, कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय, श्रीराम मोहन मिश्रा, अपर सचिव और विकास आयुक्त, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय और सुश्री चेतना गाला सिन्हा, मन देशी बैंक ने अपने विचार व्यक्त किए। सुश्री शैली चोपड़ा द्वारा इस पैनल विचार–विमर्श का संचालन किया गया। इस पैनल के विचार–विमर्श में जिन उत्साहित श्रोताओं ने भाग लिया उनमें नवयुवतियां और दिल्ली में विभिन्न व्यवसायिक महाविद्यालयों के विद्यार्थी शामिल थे।

श्रीमती सुनीता सांघी, ज्येष्ठ सलाहकार, कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय ने महिला श्रमिकों में कौशल की कमी के बारे में बताया और इस बात पर जोर दिया कि महिलाओं को प्रशिक्षित करने की आवश्यकता है जिससे कि उन्हें नौकरी मिल सके। उन्होंने आने वाले प्रधानमंत्री कौशल केंद्र का उल्लेख किया यह एक ऐसा प्रशिक्षण केंद्र हो सकता है जहां उसमें भाग लेने वालों को कई प्रकार का कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। श्रीमती मीनाक्षी गुप्ता, सदस्य सचिव, रा.म.आ. ने यह विचार प्रकट किया कि एक उद्यमी के रूप में अपनी यात्रा आरंभ करने के लिए महिलाओं को अनेक स्तरों पर सहायता की आवश्यकता है जैसे कि उन्हें अपेक्षित पूंजी, कौशल, प्रौद्योगिकी, विपणन आदि है किंतु सबसे पहले और महत्वपूर्ण बात यह है कि समाज की सोच में परिवर्तन होना चाहिए जिससे कि उद्यमशीलता के रूप में उन पर विश्वास किया जा सके। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि महिलाओं के लिए जो रूढिवादी नौकरियां है उनसे उनकी आर्थिक सशक्तिकरण पर प्रभाव पड़ता है।

इस कार्यक्रम में दिल्ली के ख्यातिप्राप्त महाविद्यालयों के विद्यार्थियों ने भाग लिया।

अवतरण

प्रधानमंत्री कार्यालय में राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष और सदस्य

राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष और सदस्यों ने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी से भेंट की और तारीख 03 जनवरी, 2019 को राष्ट्रीय महिला आयोग के 25वें वार्षिकोत्सव के लिए प्रकाशित एक कॉफी टेबल पुस्तक भेंट स्वरूप दी।

राज्य महिला आयोगों के साथ राष्ट्रीय महिला आयोग की पारस्परिक संवाद बैठक

तारीख 22 जनवरी, 2019 को राष्ट्रीय महिला आयोग ने राज्य महिला आयोगों के साथ एक पारस्परिक संवाद बैठक आयोजित की।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नेपाल के साथ बैठक

तारीख 6 फरवरी, 2019 को राष्ट्रीय महिला आयोग में श्री सुदीप पाठक, आयुक्त, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नेपाल के नेतृत्व में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी), नेपाल से आए प्रतिनिधि मंडल के साथ एक बैठक आयोजित की गई।

खेलों के समाचार

पर्वतारोही बेछिंद्री पाल को पद्म भूषण प्रदान किया गया, जो कि भारत का तीसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है।

दीक्षा डागर लेडीज यूरोपियन को जीतने वाली सबसे कम उम्र की गोल्फ खेलने वाली भारतीय महिला बनी।

भारतीय महिलाओं के एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय टीम की कप्तान मिथाली राज 200 एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय खेलने वाली पहली महिला क्रिकेट खेलने वाली बनी।

अपूर्वी चंडेला ने आईएसएसएफ विश्वकप 2019 में गोल्ड मेडल जीत कर विश्व रिकोर्ड तोड़ा।

भारतीय महिलाओं की टीम ने सफलतापूर्वक एसएएफएफ महिलाओं की चैंपियनशीप जीती।

समाचार

महिलाओं के लिए स्थायी कैरियर देने के विकल्प के संबंध में भारतीय सेना का विनिश्चय

रक्षा मंत्रालय ने यह घोषणा की है कि शार्ट सर्विस कमीशन (एसएससी) अधिकारियों के रूप में भर्ती की गई महिलाएं भारतीय सेना की सभी 10 शाखाओं में स्थायी कैरियर की पात्र होंगी। सेना में महिला अधिकारियों को अभी तक केवल दो शाखाओं, जिसमें जज एडवोकेट जनरल (जेएजी) और सेना शैक्षणिक कोर शामिल है, में स्थायी कमीशन (पीसी) दिया जाता था। इसी प्रकार भारतीय वायु सेना द्वारा भी अपनी सभी शाखाओं में जिसमें फाइटर पायलेट भी हैं, महिलाओं को स्थायी कमीशन प्रदान करने का विनिश्चय किया है। यहां तक कि महिला अधिकारियों को और अधिक अवसर प्रदान करने के लिए भारतीय नौसेना में कई नीतिगत सुधार प्रारंभ किए गए हैं।

महिलाओं को भूमिगत और खुली खदानों में कार्य करने के लिए अनुमति दी गई।

महिलाओं को भूमिगत खदानों में कार्य करने की और उनके लिए सरकार के प्रयासों के भागरूप और अधिक नियोजन के अवसर सृजित करने के लिए रात्रि के घंटों के दौरान भी खुली खदानों में तैनात करने की अनुमति प्रदान की गई है। श्रम और नियोजन मंत्रालय ने नए नियम जारी किए है जिनमें 7 बजे अपराह्न से 6 बजे पूर्वाह्न तक खुली खदानों में महिलाओं को काम करने की अनुमति दी गई है। ऐसी तैनाती महिलाओं से लिखित सहमति प्राप्त करने और उन्हें उपजीविकाजन्य सुरक्षा संरक्षण की बाबत पर्याप्त सुविधाएं और रक्षोपाय प्रदान करने के पश्चात् की जाएगी।

राष्ट्रीय महिला आयोग में

नए सदस्यों की नियुक्ति

- डा. राजुलबेन एल. देसाई को तारीख 08 मार्च, 2019 को राष्ट्रीय महिला आयोग में सदस्य नियुक्त किया गया। डा. देसाई विधि स्नातक है और उनके पास विधि, विकास और लिंग असमानता में डाक्टरेट की डिग्री है। इस नियुक्ति से पहले वे गुजरात में विधि महाविद्यालय, डीसा की प्रधानाचार्य थीं।
- श्रीमती श्यामला एस. कुंदर को तारीख 08 मार्च, 2019 को राष्ट्रीय महिला आयोग में सदस्य नियुक्त किया गया। श्रीमती कुंदर को मैसूर विश्वविद्यालय ने हिंदी रत्न में डिग्री प्रदान की है।

राष्ट्रीय महिला आयोग में महिला दिवस समारोह

इस वर्ष के लिए समारोह का विषय मूल्य मान्यताओं, दृष्टिकोण और आवाज बुलंद करने के माध्यम से महिलाओं द्वारा सफलता मुकाम हासिल करना था। कर्मचारियों द्वारा इस अवसर पर एक लघु नाटिका ''उठो द्रोपदी अब गोविंद न आएंगे'', अर्थात् किसी भी प्रकार की सहायता लिए बिना महिलाओं को अपने अधिकार प्राप्त करने के लिए अपनी आवाज बुलंद करनी होगी और खुद खड़ा होना पड़ेगा, का मंचन किया गया। कर्मचारियों के बेहतरीन अभिनय को देखकर दर्शक मंत्र–मुग्ध हो गए।

श्रीमती रेखा शर्मा, अध्यक्ष ने निम्नलिखित कार्यक्रमों में भाग लिया।

- श्रीमती रेखा शर्मा, अध्यक्ष, रा.म.आ. ने, तारीख 17 जनवरी, 2019 को हावड़ा में बंगाल इंजीनियरिंग एंड साइंस यूनिवर्सिटी कैंपस, शिबपुर में ''राइट्स ऑफ वीमेन ऑन एट्रोसिटीज'' के संबंध में पैनल विचार विमर्श में, अध्यक्षता की।
- श्रीमती शर्मा ने पश्चिमी बंगाल के डीजीपी से मुलाकात की और राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा तारीख 18 जनवरी, 2019 को प्रेषित राज्य में लंबित शिकायतों के संबंध में विचार विमर्श किया।
- श्रीमती रेखा शर्मा, अध्यक्ष, रा.म.आ. ने, तारीख 24 जनवरी, 2019 को जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय, नई दिल्ली के सहयोग से आयोजित ''कमबैटिंग एसिड अटैक इन इंडिया: सोशिओ–लीगल एस्पेक्ट्स'' के संबंध में आयोजित एक सेमिनार में, अध्यक्षता की।
- श्रीमती शर्मा ने तारीख 7 और 8 फरवरी 2019 को एक मुख्य दल के सदस्य के रूप में दि इकनोमिक टाइम्स वीमेन फॉरम में भाग लिया।
- श्रीमती शर्मा ने, 12 फरवरी, 2019 को कुरूक्षेत्र, हरियाणा में आयोजित महिला सरपंचों के एक सम्मेलन ''स्वच्छ शक्ति–2019'' में भी भाग लिया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने स्वच्छ शक्ति 2019 पुरस्कार भी वितरित किए।
- श्रीमती शर्मा ने तारीख 9 मार्च, 2019 को पुणे में डीआरडीओ अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस समारोह में भी भाग लिया।

सदस्य सचिव, सुश्री मीनाक्षी गुप्ता ने निम्नलिखित कार्यक्रमों में भाग लिया।

- तारीख 8 मार्च, 2019 को इंडिया हेबिटेट सेंटर, नई दिल्ली में आईपीई ग्लोबल सेंटर फॉर नोलेज एंड डेवलपमेंट द्वारा आयोजित ''वीमेन एट वर्क– इंस्टिट्यूटिंग जेंडर ऑडिट एट वर्कप्लेसिस'' की कार्यशाला में भाग लिया।
- आईआईएम काशीपुर में मुख्य अतिथि के रूप में ''जेंडर स्टेरीओटाइपिंग इन कैंपस प्लेसमेंट: एन इंडस्ट्री– एकेडमिया पर्सपेक्टिव'' के संबंध में एक राष्ट्रीय सेमिनार में भाग लिया।

सदस्य, सुश्री सोसो साइजा ने निम्नलिखित कार्यक्रमों में भाग लिया।

- तारीख 9 जनवरी, 2019 को असम, गुवाहाटी में तंगकुल कल्याण समिति द्वारा आयोजित 7वें लुइरा फनित (बीजारोपण समारोह) में भाग लिया।
- तारीख 9 जनवरी, 2019 को गुवाहाटी में जेटविंग्स प्रशिक्षण केंद्र का दौरा किया और प्रशिक्षुओं के साथ बातचीत की तथा उनकी प्रगति के बारे में पूछताछ की।
- तारीख 21 फरवरी, 2019 को चैन्नई में ''इंटरनेशनल इंटर–डिस्पलिनरी कांफ्रेंस ऑन मल्टीपली 'सिटी' ऑफ स्पेसेस: रिलिजन, कल्चर एंड अर्बनिटी इन इंडिया' मद्रास विश्वविद्यालय समारोह के सम्मेलन में भाग लिया।
- तारीख 22 फरवरी, 2019 को बजरंग इंजीनियरिंग कॉलेज, वेप्पम्पट्टू थिरूवल्लूर, चैन्नई में मुख्य अतिथि के रूप में विधिक जागरूकता कार्यक्रम के एक सेमिनार में भाग लिया।
- तारीख 22 फरवरी, 2019 को चैन्नई में उत्तर–पूर्वी भारतीय कल्याण एसोसिएशन द्वारा चैन्नई में आयोजित उत्तर–पूर्वी क्षेत्र से महिलाओं की पहुंच के एक कार्यक्रम में भाग लिया।
- तारीख 8 जनवरी, 2019 को नई दिल्ली में उत्तर पूर्वी समुदाय के लिए मालवीय नगर पुलिस थाने में आयोजित विधिक जागरूकता कार्यक्रम की अध्यक्षता की।
- तारीख 10 मार्च, 2019 को दिल्ली में तंगकुल महिला संगठन द्वारा आयोजित 'सोशिओ–इकनोमिक एंड पोलिटिकल कान्शस्निस ऑफ वीमेन एंड यूथ' विषय के अधीन एक पैनलिस्ट के रूप में अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस समारोह में भाग लिया।
- तारीख 10 मार्च, 2019 को नई दिल्ली में महिलाओं और उनके नैतिक मूल्य मान्यताओं का संरक्षण करने के उद्देश्य से भारत के अल्पसंख्यक विकास के एजैडआरए फांउडेशन द्वारा आयोजित 'इंटर–स्टेट एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड माइग्रेशन ऑफ फीमेल इन इंडिया'' पर आयोजित एक सेमिनार में भाग लिया।
- तारीख 13 मार्च, 2019 को साहित्य अकादमी, नई दिल्ली के सहयोग से उत्तर–पूर्वी अध्ययन और नीति अनुसंधान केंद्र, जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित 'आइडेंटिटी एंड डाइवर्सिटी विथ इन बाउंड्रीश एंड मार्जिनः एक्सप्लोरिंग लिटरेचर एंड कल्चर फरोम इंडियाज नार्थ–ईस्ट रीजन'' पर आयोजित एक राष्ट्रीय सम्मेलन में अध्यक्षता की।

सदस्य, श्रीमती चंद्रमुखी देवी ने निम्नलिखित कार्यक्रमों में भाग लिया।

- तारीख 5 जनवरी, 2019 को अध्यक्ष राज्य महिला आयोग झारखंड के साथ बैठक की।
- तारीख 13 मार्च, 2019 को लोकनायक जयप्रकाश नारायण केंद्रीय जेल हजारीबाग, रांची और इंस्टिट्यूट ऑफ न्यूरो– साइकाइट्री एंड अलाइड साइंसस (आरआईएनपीएएस) का निरीक्षण किया।
- तारीख 19 मार्च, 2019 को नवयुवती लक्ष्य प्राप्तिकर्ताओं का अभिनंदन करने के लिए अयोध्या दास गर्ल्स इंटर कॉलेज का दौरा किया।
- तारीख 8 जनवरी, 2019 को मोहरीपुर, गोरखपुर में अवस्थित ऑल्ड एज हॉम का और आश्रयगृह, गोपी गली, घंटाघर, गोरखपुर का दौरा किया।

सदस्य, श्रीमती श्यामला एस कुंदर ने निम्नलिखित कार्यक्रमों में भाग लिया।

- तारीख 21 मार्च, 2019 को सेंट एग्नस कॉलेज, मंगलौर, कर्नाटक में ''इम्पैक्ट एंड कान्सक्वेन्स ऑफ जेंडर स्टेरीओटाइपिंग ऑन कैरियर ऑफ वीमेन'' पर एक सेमिनार में भाग लिया।
- तारीख 22 मार्च, 2019 को एम एस रमैय्या इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलाजी, बैंगलुरू, कर्नाटक में ''साइबर अपराध और महिलाएं– पूर्वाधानियां और रणनीति'' पर आयोजित दूसरे सेमिनार में भाग लिया।
- तारीख 22 मार्च, 2019 को सुश्री नीलामणी राजू, डीजीपी, आईपीएस से मुलाकात की और राष्ट्रीय महिला आयोग में कर्नाटक में फाइल की गई शिकायतकर्ताओं की विभिन्न शिकायतों के बारे में विचार–विमर्श किया और लंबित शिकायतों की सूची सौंपी।

सदस्य, डा. राजुलबेन एल. देसाई ने निम्नलिखित कार्यक्रमों में भाग लिया।

- डा. राजुलबेन एल. देसाई, सदस्य, रा.म.आ. ने तारीख 22 मार्च, 2019 को डीसा (गुजरात) में श्री उत्कर्ष समिति और लाइन्स क्लब प्रादेशिक सम्मेलन द्वारा आयोजित समारोह में भाग लिया।

दिल्ली, गौतमबुद्ध नगर, अलीगढ़, मुजफ्फरनगर, मेरठ और फरीदाबाद में जनसुनवाई

- अलीगढ़– 4 जनवरी, 2019
- गौतमबुद्ध नगर– 8 जनवरी, 2019
- मालवीय नगर (दक्षिणी दिल्ली)– 11 जनवरी, 2019
- मुजफ्फरनगर– 8 फरवरी, 2019
- मध्य दिल्ली – 15 फरवरी, 2019
- मेरठ– 20 फरवरी, 2019
- फरीदाबाद– 6 मार्च, 2019

शिकायत एवं जांच प्रकोष्ठ में प्राप्त शिकायतें और जनवरी–मार्च 2019 के बीच सुलझाई गई शिकायतें

मास	प्राप्त शिकायतें	बंद की गई शिकायतें (पुरानी+नई)
जनवरी, 2019	1305	1301
फरवरी, 2019	1305	676
मार्च, 2019	1044	1001

प्राप्त हुई शिकायतें और जनवरी–मार्च 2019 के बीच स्वप्रेरणा प्रकोष्ठ द्वारा सुलझाई गई शिकायतें

क्र.सं.	मास	कार्रवाई किए गए मामलों की संख्या	की गई कार्रवाई रिपोर्टों की संख्या जिनके उत्तर प्राप्त हो गए है	बंद किए गए मामलों की संख्या
1.	जनवरी	08	12	11
2.	फरवरी	10	15	05
3.	मार्च	06	14	04

राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा विधि पुनर्विलोकन समारम्भ– महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013

इस अवधि के दौरान आयोग ने महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 पर प्रादेशिक परामर्श आरंभ किया। यह परामर्श तारीख 18 जनवरी, 2019 को राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय दिल्ली, तारीख 1 फरवरी, 2019 को नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया विश्वविद्यालय बैंगलोर, तारीख 2 फरवरी, 2019 को गुजरात राष्ट्रीय विधि गांधीनगर, तारीख 16 फरवरी 2019 और लिंग न्याय केंद्र, राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, न्यायिक अकादमी (एनएलएयूजेए), असम के साथ परामर्श आयोजित किए गए। राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा इन परामर्शों को विभिन्न क्षेत्रों और इस बात को ध्यान में रखते हुए कि ऐसे कुछ प्रदेश विनिर्दिष्ट या राज्य विनिर्दिष्ट मुद्दें हो सकते हैं जिनका निराकरण करने की आवश्यकता है इसलिए इस प्रक्रिया में विभिन्न प्रदेशों से सहयोगियों के सुझावों को सम्मिलित करने के लिए इन्हें आयोजित किया गया था:

निम्नलिखित मुख्य सिफारिशें की गईः

- ''लैंगिक उत्पीड़न'' का विस्तार किया जाए और इसमें लैंगिक संकेतार्थ के साथ लिंग आधारित साइबर अपराधों को शामिल किया जाए।
- लैंगिक उत्पीड़न की मात्रा को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जाए और दंडात्मक उपायों की सिफारिश करने के लिए आईसी को दिशा निर्देश प्रदान किए जाए।
- समिति में गैर सरकारी संगठन से एक सदस्य के स्थान पर दो (2) बाहरी सदस्यों को शामिल किया जाए।
- आंतरिक समिति में सदस्यों की संख्या विषम होनी चाहिए जिससे कि बहुमत से विचार/विनिश्चय किया जा सके।
- अपील पर विनिश्चय के लिए समय नियत किया जाना चाहिए अर्थात् अपील फाइल करने की तारीख से 60 दिन में इसका निपटारा हो जाना चाहिए।
- जानकारी प्रदान करने/प्रशिक्षण देने/ऐसे अन्य शैक्षणिक जानकारी देने के लिए निधि प्रभाजित की जानी चाहिए।
- शिकायत फाइल करने की आरंभिक परिसीमा अवधि को तीन मास के स्थान पर बढ़ाकर छह मास किया जाना चाहिए और आईसी या एलसी द्वारा लिखित में इसके लिए कारण लेखबद्ध करने चाहिए।

राष्ट्रीय महिला आयोग को एक नोडल निकाय के रूप में नियुक्त किया जाना चाहिए जिससे कि विभिन्न संगठनों में विभिन्न आईसीसी के बीच बेहतर तालमेल और अच्छी कार्यप्रणाली का आदान–प्रदान हो सके।

राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा विधि पुनर्विलोकन समारम्भ – महिला संपत्ति अधिकार

आयोग ने, तारीख 18 जनवरी, 2019 को राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय दिल्ली, तारीख 02 फरवरी, 2019 को गुजरात राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय गांधीनगर और तारीख 01 फरवरी, 2019 को नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया विश्वविद्यालय बैंगलोर के सहयोग से महिला संपत्ति अधिकारों से संबंधित विधि का पुनर्विलोकन करने के लिए 3 प्रादेशिक परामर्श आयोजित किए। इन परामर्शों में विभिन्न क्षेत्र से, जिसमें राज्यों और केंद्रीय सरकार के प्रतिनिधि से लेकर वकील, कार्यकर्ता, शिक्षाविद, सिविल सोसाइटी संगठन, समाजशास्त्री और इस क्षेत्र में के विशेषज्ञ शामिल है, ने अलग अलग सुसंगत विचार प्रकट किए। परामर्श में यह उल्लेखनीय था कि भारत में जनता के बीच महिलाओं के संपत्ति अधिकारों के संबंध में इन्हें शासित करने वाली विधियों में विभिन्न अलग अलग मत है। यह उल्लेख किया गया कि संपत्ति अधिकारों को शासित करने वाली विधियों में समानता के सिद्धांत की अवहेलना की जाती है।

निम्नलिखित सिफारिशें की गई थीः

- वैवाहिक संपत्ति के संबंध में, जिससे महिलाओं के अधिकार उनके दांवे, उनके हिस्सेदारी आदि शासित होती है, विधि का एक प्रारूप तैयार करने की बहुत आवश्यकता है।
- भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 33क, 42 और 43 जिसमें महिलाओं के वसीयती अधिकार न के बराबर रकम तक निर्बंधित किया गया है इनमें संशोधन किया जाना चाहिए।
- संसद द्वारा एक आदर्श विधि को अपनाया जाना चाहिए और उस आदर्श विधि के अनुसार राज्य को समानता और साम्या के सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए विधि बनाई जानी चाहिए। इससे विधि में कुछ समानता लाने में सहायता मिलेगी और विभिन्नता को बनाए रखते हुए महिलाओं के अधिकारों को संरक्षित किया जा सकेगा।
- हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 के उस उपबंध का संशोधन किया जाना चाहिए जो हिंदू विवाहित महिलाओं की संपत्ति को उसके वारिसों के स्थान पर उसके पति के वारिसों को न्यागत हो जाती है।

अनिवासी भारतीय प्रकोष्ठ से

राष्ट्रीय महिला आयोग को एक महिला से एक ऐसी शिकायत प्राप्त हुई थी जिसमें यह अभिकथन किया गया था कि उसका पति अमेरिका में रहता है और उसने उनके एक साथ रहते हुए एक विवाह–विच्छेद सूचना जबरदस्ती उसे दी थी और उसे इस बात की जानकारी नहीं थी कि वह अपना मामला कैसे पेश करे। इस महिला ने अमेरिका में संबंधित प्राधिकारियों से संपर्क करने के लिए आयोग से सहायता मांगी थी। शीघ्र ही सीजीआई, न्यूयॉर्क को एक पत्र भेजा गया था जिसमें शिकायतकर्ता को सहायता प्रदान करने का अनुरोध किया गया था। वाणिज्य दूतावास ने सूची में सम्मिलित एक गैर सरकारी संगठन ''सखी'' को शिकायत भेजी थी जिसने अमेरिका में इस महिला का संपर्क एक अर्टानी से कराया। इसके बाद इस महिला ने आयोग को वाणिज्य दूतावास के माध्यम से आभार प्रकट किया और उन्हें यह सूचना दी कि उसका उसके पति के साथ सुलह हो गई है।

अनिवासी भारतीय प्रकोष्ठ में प्राप्त शिकायतें और जनवरी–मार्च, 2019 के बीच शिकायतों का निराकरण

मास	प्राप्त शिकायतें	बंद की गई शिकायतें (पुरानी + नई)
जनवरी, 2019	51	05
फरवरी, 2019	64	07
मार्च, 2019	86	10

राष्ट्रीय महिला आयोग, प्लॉट नं. 21, **जसोला इंस्टीट्यूशनल एरिया,** नई दिल्ली– 110025 द्वारा प्रकाशित।
डायलः 011-26942369, 26944740, 26944754, 26944805, 26944809
डॉलफिन प्रिंटा–ग्राफिक्स, 1ई/18, चौथा तल, झण्डेवालान एक्सटेंशन, नई दिल्ली-110055 #011-23593541-42.